

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेही,  
विशेष सचिव,  
उपराशि।

सेवा में,

निदेशक,  
राज्य नगरीय विकास अभियान,  
उपराशि, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी  
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : १५ मार्च, 2018

**विषय:** शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इंटरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत कार्यों को पूर्ण करने हेतु "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 में प्राविधानित धनराशि से जनपद-बिजनौर की 12 परियोजनाओं हेतु द्वितीय/अंतिम किशत की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5746/76/एक/एवीएमबीबीवाई/2016-17, दिनांक 27 मार्च, 2017 एवं पत्र संख्या-3758/76/एक/एवीएमबीबीवाई/2013-14, दिनांक 02 जनवरी, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इंटरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना" योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत जनपद-बिजनौर की नोपाठी, बिजनौर की विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में वियुत अधिष्ठापन कार्य से सम्बन्धित 07 परियोजनाओं एवं इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित 05 परियोजनाओं अर्थात् कुल 12 परियोजनाओं हेतु शासनादेश संख्या-801/2016/1679/69-1-16-43(अ०सं०-३७)/2016, दिनांक 09 दिसम्बर, 2016 द्वारा ₹ 0 328.06 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् ₹ 0 164.03 लाख की धनराशि प्रथम किशत के रूप में अवमुक्त की गयी थी। अतएव उक्त परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 में प्राविधानित बजट की धनराशि से संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित द्वितीय/अंतिम किशत की धनराशि ₹ 0 164.03 लाख (सूपर्ये एक करोड़ चौसठ लाख तीन हजार भात्र) की, निम्नलिखित शर्तों/प्रतिवन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिवन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ,

क्रमशः.....2

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता योग्य साइट <http://shasanadepth.up.nic.in> से सत्यापित यी जा सकती है।

श्री. भौपल बापुजी अंदू

मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।

4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजनाओं को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमत्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्यों का विवरण, उनकी लागत, कार्य पूर्ण होने की अवधि, कार्यदायी संस्था व उससे संबंधित अभियन्ता एवं परियोजना अधिकारी का नाम व फोन नम्बर कार्य स्थल पर नोटिस बोर्ड लगाकर सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त सभी विवरण एवं योजना का आगणन इडा की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
8. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित इडा का होगा।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्णीत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
10. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अद्यमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकित नहीं की गई है।
11. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित इडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अद्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
12. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
13. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभियान, 30प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30 प्र0 शासन के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
14. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाठचर संघ्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

क्रमशः..... 3

- 
1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता येव साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

15. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
16. सेन्टेज चार्जर (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
17. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2018 तक व्यय हो सके।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-04-मुख्यमंत्री नगरीय अला विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017 एवं समय-समय पर जारी आदेशों के तहत जारी किये जा रहे हैं।
- संलग्नक: यथोक्त।

मंत्री  
अनिल कुमार बाजपेयी  
(अनिल कुमार बाजपेयी)  
विशेष सचिव।

संख्या- ८० /2018/448(1)/69-1-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, ३०प्र०, २० सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, विजनौर।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जयाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
7. नियोजन अनुभाग-५, ३०प्र० शासन।
8. वित्त नियन्त्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

/(अधिलानन्द ब्रह्मचारी)  
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadeshp.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या- ४० /2018/448/69-1-2017-43(अ०सं०-३७)/2016 दिनांक १५ मार्च, 2018 का  
संलग्नक। (प्रत्यापि लाख ₹० में)


क्र० सं०	जनपद का नाम	विकाश/ नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	द्वितीय/अंति म किश्त के रूप में स्वीकृत योग्य धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1.	विजनौर	न०पा०परि ० विजनौर	मो० रविदास बी-२३ नगर में रविदास धर्मशाला से बुल्ला के चौराहे तक नये पोल व लाईट व अन्दर गलियाँ में पुराने पोलों पर लाईट्स के अधिष्ठान का कार्य।	18.42	9.21
2.	तदैव	तदैव	मो० कस्सावाल मेरठ की चुंगी से रेती से कब्रिस्तान की बाउण्ड्री तक नये पोल व लाईट्स का अधिष्ठापन तथा अन्दर गलियाँ में पुराने पोलों पर लाईट्स के अधिष्ठापन का कार्य।	17.04	8.52
3.	तदैव	तदैव	मो० मिर्टगान/खवियाल चौटपुर की चुंगी से हरिहर मंदिर व अन्दर भा० काशीराम कालोनी से होते हुये नूरपुर रोड तक में नये पोल व लाईट्स का अधिष्ठापन तथा अन्दर गलियाँ में पुराने पोलों पर लाईट्स के अधिष्ठापन का कार्य।	60.89	30.445
4.	तदैव	तदैव	मो० जाटान बी-३ बी-४ बाल्मीकी बस्ती में नये पोल व लाईट्स का अधिष्ठापन तथा अन्दर गलियाँ में पुराने पोलों पर लाईट्स के अधिष्ठापन का कार्य।	41.18	20.59
5.	तदैव	तदैव	मो० जाटान में गोकुलपुर की चुंगी से पुराने शौचालय (बमप्लस) की ओर नये पोल व लाईट्स का अधिष्ठापन तथा अन्दर हरिजन बस्ती में गलियाँ में पुराने पोलों पर लाईट्स के अधिष्ठापन का कार्य।	37.78	18.89
6	तदैव	तदैव	मो० बुखरा की चुंगी से जानी के चौराहे तक नये पोल व लाईट्स का अधिष्ठापन तथा अन्दर गलियाँ में पुराने पोलों पर लाईट्स के अधिष्ठापन का कार्य।	17.04	8.52
7	तदैव	तदैव	मो० जुलाहान में झकड़ी की चुंगी से ईदगाह रोड पर नये पोलों का अधिष्ठापन व लाईट्स तथा अन्दर गलियाँ में पुराने पोलों पर लाईट्स के अधिष्ठापन का कार्य।	44.70	22.35
8	तदैव	तदैव	मो० काजीपाड़ा में रुड़की येकरी से मुस्लिम फण्ड तक पेयर इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	31.63	15.815
9	तदैव	तदैव	मो० काजीपाड़ा में राम का चौराहा से स्टार इण्टरप्राइजेज तक पेयर इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	16.62	8.31
10	तदैव	तदैव	मो० काजीपाड़ा में स्टार इण्टरप्राइजेज से डा० जमील अहमद खान कलीनिक तक पेयर इण्टरलाकिंग रोड व	14.79	7.395

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

			नाली निर्माण कार्य।		
11	तटैव	तटैव	मो० काजीपाड़ा में डा० जमील अहमद खान कलीनिक से एक इमली मस्जिद तक पेयर इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	18.12	9.06
12	तटैव	तटैव	मो० काजीपाड़ा में एक इमली मस्जिद से रुडकी धेकरी तक पेयर इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	9.85	4.925
योग				328.06	164.03

(रूपये एक करोड़ चौसठ लाख तीन हजार मात्र)।



(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)  
अनु संचिव।

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रभागिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।